SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Essar Oil Limited for diversion (under FCA-1980) of 0.075012 ha. of forest land for non-forestry purpose. The Project envisage the use of protected forest land and felling of 07 trees for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Raya-Mathura Road (SH-80) km 27 (Ch. 26.320) at Khasra no. 537, Village-Bisawali, District- Aligarh and . The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 22.10.2019

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest measuring 0.075012 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. - Nil.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Nil

a. The user agency has violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and work has been started without proper sanction.

b. it has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. a detail report as per para 1.9 of chapter-1; para C of handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached

Place- Aligarh.
Dated 22.10.2019

(N.P. Upadhyay)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Aligarh.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number- 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

Scanned by CamScanner

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में **Penalty** की प्रस्तावित गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537, तहसील–इगलास में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0 B (ii) के अनुसार निम्न प्रकार Penalty की गणना की जाती है।

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0– प्रभावित वन भूमि (0.075012) X 6,26,000 = 46,958.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण – 1x 46958 = 46,958.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 46,958 x 12% = 5,635.00
4. **कुल योग–** **52,593.00**

(शब्दों में – बावन हजार पांच सौ तिरानबे मात्र)

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक व निर्क प्रभाग
अलीगढ़
Date→ 26/12/2019

Scanned by CamScanner

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : FP/UP/Others/13877/2015 प्रकिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

(1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरणः–

(A) स्थल का विवरण– अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537, तहसील–इगलास, जनपद– अलीगढ़

(B) भूमि का क्षेत्रफल– 0.075012 है0

(C) मानचित्र– प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(D) अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण– प्रकरण में 07 वृक्षों का पातन प्रस्तावित था। जिसमें से वर्तमान में मात्र 02 वृक्ष यूकेलिप्टस हरे मौके पर खड़े हैं एवं शेष 05 वृक्ष यूकेलिप्टस जो सूख गये थे, सरकारी छपान लाट सं0 36 वर्ष 2017–18 में छपान कर पातन वन निगम द्वारा किया गया है। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

2. रिपोर्टः– एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेगें जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537, तहसील–इगलास, जनपद– अलीगढ़ पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/Others/13877/2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि संस्तुति संहित उ0प्र0 शासन स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा आपत्ति लगायी गयी हैं। प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, इगलास रेंज द्वारा केस सं0 02/इगलास/18–19 दि0 21.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

1. श्री अतुल कुमार – प्रभागीय प्रवन्धक, नायरा एनर्जी लि0, (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर–16 बी, आवास विकास, सिकन्द्राबोदला, आगरा।

3. वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण–

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक व
अलीगढ़

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में इगलास रेंज द्वारा केस सं0 02/इगलास/18–19 दि0 21.02.2019 द्वारा एच02 केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि 0.075012 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।

4. यदि किसी भूल–चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी–

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2015 में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। जिसके उपरांत ही प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 14.12.2015 को समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। जिससे स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली, तहसील–इगलास के खसरा सं0– 537 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ। अतः प्रकरण में किसी भूल–चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

Scanned by CamScanner

235

11721

राजियाद सं० 02/ इगलास / 18-19

प्रभागीय वाद सं० (02/इगलास)/18-19

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) अलीगढ़

भा० व०अ० 1927 की धारा 32(g) 32(K) 32(1) 33(c) 33(H)

अपराध .... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० .... दिनांक 21-2-19 अधिक्षेत्र राजि इगलास

एवं वन संरक्षण अधि० 1980 की धारा-2

१—नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान प्रबन्धक एस्सार आयल लिमिटेड 2314 तीसरी मंजिल टावर एद कोरेन्यय 41 सै 62 नोयडा

२—साक्षी का नाम

३—कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना रिटेल आउट लेट चालू कराना

४—मूल्य

५—चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

६—प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय इगलास रेन्ज के अन्तर्गत अलीगढ़ मथुरा (प्रा० रा० मार्ग से 80) कि०मी० 27 पटरी बांयी पटरी पर रिटेलआउटलेट अनुमति हेतु प्रस्ताव वनविभाग अलीगढ़ में प्रस्तुत किया गया था जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है तथा अनुमति प्राप्त से पूर्व प्रबन्धक एस्सार आयल लिमिटेड 2314 तीसरी मंजिल टावर एद कोरेन्यय ए-41 सै 62 नोयडा के सहयोग से रिटेल आउट लेट चालू करा दिया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32(g) 32(K) 32(1) 33(c) 33(H) का स्पष्ट रूप से उल्लघन है अतः उपरोक्त के विरुद्ध अंकित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाय / घटना स्थल का निरीक्षण आपके 21-02-2019 को दोपहर 12 बजे से 12-30 तक किया गया रिपोर्ट सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

गवाह कृष्णकुमार

(कृष्णकुमार माली)
इगलास रेंज

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(दुर्गपालसिंह जादौन)
बीट प्रभारी इगलास

द्वितीय वनक्षेत्राधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं आ० का० हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
क्षे० व० अ०
इगलास रेंज

Approved

कोर्ट शाखा प्रभारी
आवश्यक करें।

(हस्ताक्षर)
21/3/19

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः /14–1, दिनांकःअलीगढः 30 2019

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक,
नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लि),
ब्लर्ड ट्रेड टावर,
1105–06, ग्यारवां तल,
सेक्टर 16, नोएडा– 201301।

विषय : **वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।**

संदर्भः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ का पत्र सं0 1573 /14–10 दिनांक 25.10.2019

आप की संस्था द्वारा श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी– मथुरा रोड़, इगलास, जिला–अलीगढ़ को Letter of Appointment सं0 UP-W-1697 dated 27.02.2015 द्वारा अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537, तहसील–इगलास में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/13877/2015 प्रेषित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, उ0प्र0 शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। **प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।** प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए ही संरक्षित वन क्षेत्र में वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग करके कार्य पूर्ण किया गया है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लघन है।

3669
14-1
22-11-19

वन कर्मियो के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 21.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537, तहसील–इगलास में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में इगलास रेंज द्वारा रेंज केस सं0 02/इगलास/18–19 दि0 21.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 के तहत जारी की गई। उक्त तथ्य का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2019 को स्वयं निरीक्षण कर पुष्टि की गयी है।

D/M.
आ0का0 को
प्रभागीय निदेशक
01-11-19

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार ,वन पर्यावरणं एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नही कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 का वरन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 60 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा–3बी में आपके विरूद्ध वाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1433/14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Attested

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

C:\Users\ok\Documents\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol pump Bisawali\CA Scheme.doc

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 3892/2–1 ,अलीगढः दिनांकः मई, 10 ,2019

सेवा में,

श्री दुर्गपाल सिंह जादौन, वन रक्षक,
इगलास बीट, इगलास रेंज।

विषयः कारण बताओ नोटिस।
द्वाराः क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज।

आप अलीगढ़ रेंज में प्रभारी इगलास बीट के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537, तहसील–इगलास में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। प्रस्तावित स्थल के पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण दिनांक 25.04.2019 के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कर लिया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

इस प्रकरण में आप अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि क्यों प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया ? उक्त कार्य समयवद्ध है, उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिये आप स्वय उत्तरदायी होगें।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांकः 3892/2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज को पत्र की 2 प्रति इस आशय से प्रेषित कि आप एक प्रति कर्मचारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को लौटती डाक से उपलब्ध करायें।

Attested

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

C:\Users\...\Documents\D Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol pump Bisawali\CA Scheme.doc

Scanned by CamScanner

ई–मेल cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1541 /2–1, दिनांकअलीगढ़अक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री देवस्कार,
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0),
सम्बद्ध– कार्यालय कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज।

द्वारा– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

विषय– कारण बताओ नोटिस।

आपकी इगलास रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली, तहसील–इगलास के खसरा सं0– 537 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में पायी गयीं कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक SB/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके क्रम में प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली, तहसील–इगलास के खसरा सं0– 537 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर रेंज एच–2 केस संख्या–02/इगलास/18–19 दि0 21.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके

Attested

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

Scanned by CamScanner

कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।
लिखित साक्ष्यः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 की छायाप्रति।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.10.2019 की छायाप्रति।
3. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1441 /2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति प्रभारी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0) को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Attested

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ

Scanned by CamScanner

ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1439 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ः अक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह, वनविद्
इगलास सेक्शन, इगलास रेंज।

द्वाराः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः– कारण बताओ नोटिस।

आपकी इगलास रेंज में सेक्शन प्रभारी इगलास सेक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली, तहसील–इगलास के खसरा सं0– 537 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में पायी गयीं कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके क्रम में प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मकरियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 22.010.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली, तहसील–इगलास के खसरा सं0– 537 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर रेंज एच–2 केस संख्या–02/इगलास/18–19 दि0 21.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

Attested

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ

Scanned by CamScanner

आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पत्नीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः—

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 की छायाप्रति।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.10.2019 की छायाप्रति।
3. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11—42/2017—एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1939 /2—1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Attested

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ

Scanned by CamScanner